



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०
सेवटर-११, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-२२६०३१

पत्रांक:-८०के०टी०य० / कुस०का० / स०वि० / २०१९ / १०९४ / १५२

दिनांक: १५ मई, २०१९

College Code 152

सेवा में

निदेशक / प्राचार्य,

Mangalmay Institute of Management And Technology, Gautam Buddha Nagar

Plot No. 8 & 9, Knowledge Park-II, Greater Noida, U.P., Gautam Buddha Nagar

विषय: शैक्षिक सत्र 2019-20 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2019-20 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता रामिया समिति/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता रामिया समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्कृतियों एवं इन संस्कृतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या १५३८/सं०ल०८-१-२०१९-१३(१)/२०१८ दिनांक १५.०५.२०१९ के अधीन मात्र कार्यपरिषद से अनुमोदन के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवतित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा २३(२) के अधीन मात्र कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वयंत्र पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अरामाद सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
MBA	MBA	Shift I	180	180		180
MBA	MBA	Shift II	120	60		60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवधारणा-सुविधाएँ पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फंकल्टी अनुपात, रैरिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता रवत: निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धत्रै का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवधारणा सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षाकों के राष्ट्रगांग के राष्ट्र-सांस्कृतिक लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी रामय किया जा सकता है।
- वी.फार्म./गी.फार्म./गी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी कार्डसिल आफ इण्डिया/कार्डसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संवधित कार्डसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभावशिप एवं भी.सी.आई./सी.ओ.ए प्राप्त किया जाना अनुमोदन विवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता रवत: निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धत्रै का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य कीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बद्धत शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा शीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शारीरा/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता रवत: निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवतित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथग विनियम 2010 के अधाय-६ (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधिकाओं का पालन संज्ञा द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समग्र करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान १० जून, 2019 के पूर्व नियमक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के राष्ट्रेक नियमक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अहंता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेंगा। साथ ही इन शिक्षकों की सूची तथा तथ्यन से सम्बद्धत समस्त अनिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का गोप्तार्जुत सप्त पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके रवत तथा सत्यापन में कोई त्रुटि, कूटरचना/

१२४

विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

२६ पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्हित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के रूपमें ५ या ६ (यथा लागू) में तृतीय ७ के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संरक्षा के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संरक्षा की अस्थाई सम्बद्धता रखतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रख्यं संरक्षण/प्रबन्धातंत्र का होगा।


(नन्द लाल सिंह)
कुलसाहच

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. अपरं मुख्यसचिव, मा०. कुलाधिपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
२. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
३. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
४. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
५. गाड़ फाइल।